

प्रेषक,

विजय कुमार डुंगराकोटी,
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 13, सहारनपुर।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जिला न्यायाधीश,
जिला सहारनपुर।


विषय: सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का स्पष्टीकरण।
महोदय,

विन्नम निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा अपना अन्तिम सम्पत्ति विवरण इससे पूर्व वर्ष 2018-019 का प्रेषित किया था, जिसके अनुसार अगला सम्पत्ति विवरण वर्ष 2021 में माह अप्रैल तक प्रस्तुत कर देना चाहिए था, परन्तु माह अप्रैल 2021 के अन्त में प्रार्थी कोरोना से गम्भीर रूप से प्रभावित हो गया था जिस कारण वह लगभग 15 दिन तक देहरादून के अस्पताल में भर्ती रहा तथा करीब 40 दिन तक मैडिकल अवकाश पर रहा तथा उसके पश्चात लॉक डाउन लगने के कारण तथा न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से न होने होने के कारण भूलवश उक्त सम्पत्ति विवरण समय से प्रेषित नहीं किया जा सका।

अतः प्रार्थी उक्त भूल के लिए क्षमा चाहता है तथा प्रार्थी द्वारा अपना सम्पत्ति विवरण वर्ष 2019-2021 का प्रेषित किया जा रहा है।

ससम्मान

दिनांक 10.12.2021

भवदीय,

10.12.21
(विजय कुमार डुंगराकोटी)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 13, सहारनपुर।